संख्या– /VI/2006–5(15)2006

प्रेषक,

संतोष बडोनी,
अनुसचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन,
उत्तरांचल, देहरादून ।

पर्यटन अनुभाग देहरादून दिनांक 23 मार्च, 2006

विषयः जिला योजना 2005–2006 के अधीन पर्यटक स्थलों का सौन्दर्यीकरण तथा सुविधाओं हेतु जिला योजना में धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–17/VI/2006–3(33)2005, दिनांक 28 जनवरी, 2006 आपके पत्र संख्या–664/2–6–215/05–06, दिनांक 6 मार्च, 2006 तथा आपके पत्र संख्या–670/2–6–215/05–06, दिनांक 06 मार्च, 2006 एवं पत्र संख्या–537/2–6–215/2005–06 दिनांक 10 जनवरी 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जिला योजना 2005–2006 के अधीन पर्यटक स्थलों का सौन्दर्यीकरण तथा सुविधाओं की संलग्न 08 योजनाओं हेतु रू0 30.96 लाख के आगणनों के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू0 29.69 लाख (रुपये उनतीस लाख उनसत्तर हजार मात्र) के आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2005–06 में रू0 19.89 (रुपया उन्नीस लाख नवासी हजार मात्र) की धनराशि को डिपाजिट के रूप में आहरित कर व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत /अनुमोदित दरों को जो दरें शिडूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करा लें ।

4– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मानक है, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

6– एस मुरा प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त योजनायें जिला विकास एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित हों और जनपदवार आवंटित प्लान परिव्यय के अन्तर्गत ही हों।

8– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एंव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

9– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व योजना के भविष्य में अनुरक्षण की वचनबद्धता लिखित रूप में सम्बन्धित नगर पंचायत से लेने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। भविष्य में उक्त योजनाओं के अनुरक्षण हेतु कोई बजट नही दिया जायेगा।

10– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एंव भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये ।

11–आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए ।

12–निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए ।

13–कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

14–जिन कार्यो पर द्वितीय किस्त अवमुक्त की जानी है, उनमें व अन्य योजनाओं में भी प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि की वित्तीय/ भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही दूसरी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

15–स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त योजनायें जनपद स्तर पर जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित हो एवं जनपद को आवंटित प्लान परिव्यय के अन्तर्गत हों।

16–उक्त धनराशि का व्यय शासनादेश संख्या–17/VI/2006–3(33)2005 टी0सी0–II, दिनांक 28 जनवरी, 2006 द्वारा अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से व्ययावर्तन द्वारा निवर्तन पर रखी गई धनराशि से ही किया जायेगा।

17–उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–2006 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक –5452–पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्वर्धन तथा प्रचार–91–जिला योजना 07–पर्यटक स्थलों का सौन्दर्यीकरण तथा सुविधायें 42– अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

18–उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–388/XXVII(2)/2006, दिनांक 23 मार्च, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

संख्या–301/VI /2006–5(15)2006, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल।
4– जिलाधिकारी, देहरादून, चमोली, नैनीताल,हरिद्वार।
5– निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी,उत्तरांचल शासन।
6– निजी सचिव,मा0 पर्यटन मंत्री जी,उत्तरांचल शासन।
7– वित्त अनुभाग–2,
8– श्री एल0एन0पन्त, अपर सचिव वित्त ।
9– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
10–जिला पर्यटन विकास अधिकारी, देहरादून, चमोली, नैनीताल,हरिद्वार।
11–एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय परिसर।
12–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।

शासनादेश संख्या-301 /VI/2006-5(15)2006,दिनांक23मार्च,2006 का संलग्नक

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना की लागत	टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि	निर्माण इकाई
	जनपद देहरादून				
1	आसन बैराज क्षेत्र में पर्यटकों के पक्षी अवलोकन एवं पक्षियों की सुरक्षा हेतु वाच टावरों का निर्माण	6.50	6.50	3.50	चकराता वन प्रभाग, कालसी, यमुना वृत्त उत्तरांचल
2	बावडी क्षेत्र का पर्यटन विकास	6.00	5.85	2.85	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, देहरादून
	जनपद चमोली				
3	विकासखण्ड गैरसैण के अन्तर्गत शिव मंदिर धुनारघाट का सौन्दर्यीकरण	1.00	0.84	0.84	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, चमोली
4	विकासखण्ड गैरसैण के अन्तर्गत शिव मंदिर भैरवगडो मेहलचौडी का सौ0	1.00	0.95	0.95	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, चमोली
	जनपद नैनीताल				
5	भीमताल में विकास भवन परिसर में पार्कों का निर्माण एवं सौ0	7.21	6.70	3.90	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, नैनीताल
6	डोलकोट मंदिर के निकट पिलग्रिम शेड का निर्माण	3.25	3.20	2.20	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, नैनीताल
	जनपद हरिद्वार				
7	सतीकुण्ड का जीर्णोद्धार	4.00	3.80	3.80	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, हरिद्वार
8	ललताराव पर्यटन पार्क का सौन्दर्यीकरण एवं विकास	2.00	1.85	1.85	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, हरिद्वार
	योग–	30.96	29.69	19.89	

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।